न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—45/2021

प्रार्थीगणः—

1. अणसीदेवी पत्नी इन्द्रमल जाति घांची
2. बालुराम पुत्र इन्द्रमल जाति घांची
   निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 20.03.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम समदडी तहसील समदडी में मूल खसरा संख्या 352 रकबा 24.10 बीघा भूमि में से खसरा संख्या 614/352 भूमि नीलकमल प्लास्टर इंडस्ट्रीज के नाम की खसरा संख्या 613/352 रकबा 22.10 बीघा भूमि कि किस्म गै.मु. आबादी दर्ज है, खसरा संख्या 613/352 में जिसमें लोगो के अवासीय मकान बने हुए है लगभग 50 वर्ष पूर्व मूल खसरा संख्या 352 में से 02.00 बीघा भूमि नीलकमल प्लास्टर इंडस्ट्रीज के नाम पर आवंटन हुआ जो कभी लगी ही नही न उनका कोई अस्तित्व ही है,श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बालोतरा द्वारा विवादित भूमि मे से 22.10 बीघा भूमि आबादी में संपरिवर्तित की गई प्रार्थीगण को मौके पर कब्जा प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट"अ"' मे बरंग लाल से दर्शाए अनुसार है व इसी अनुसार रहवासीय मकान बना रखा है तथा ग्राम पंचायत समदडी ने बिजली, पानी का कनेक्शन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि बरंग लाल पर नीलकमल प्लास्टर इंडस्ट्रीज का गलत तरमीम कर दी जबकि नीलकमल प्लास्टर इंडस्ट्रीज की भूमि प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि के बदिशा पूर्व में मौके पर खाली है,सेग्रीगेशन में राजस्व कर्मचारियों द्वारा की [illegible] नक्शे में [illegible]िक कब्जा व खतौनी अनुसार भूमि तरमीम नहीं होने कब्जा क[illegible] भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रार्थीगण द्वा[illegible]ना पत्र [illegible]न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र कमांक—भू.अ./2023/328 दिनांक 08.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार ग्राम समदडी के मूल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:04:40 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 352 रकबा 24.10 बीघा भूमि का जिला कलक्टर महोदय बाडमेर द्वारा आदेश संख्या 2566 दिनांक 06.08.1970 द्वारा सम्पतराम रामपुरिया मैसर्स नीलकमल प्लास्टर इंडस्ट्रीज समदडी के नाम आवंटन किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 311 दर्ज हुआ जो तत्कालीन नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा स्वीकृत किया गया,उक्त नामान्तरकरण की परत पर आवंटित भूमि की तरमीम नहीं दर्शाए गई है,जमाबंदी सवंत् 2038 से 2041 के खाता संख्या 247 में सम्पतलाल पुत्र चन्दनमल,किशोरीदेवी पत्नी कान्तीलाल जाति रामपुरीया महाजन सा. बीकानेर मालिक फर्म नीलकमल प्लास्टर इंडस्ट्रीज ग्राम समदडी के खातेदारी दर्ज है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय श्री वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 01 बालोतरा के समक्ष वाद संख्या 08/2012 प्रस्तुत की गई जिसमें तत्कालीन तहसीलदार सिवाना द्वारा जवाब प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा संख्या 352/1 वर्तमान खसरा संख्या 614/352 रकबा 02.00 बीघा भूमि सम्पतलाल पुत्र चन्दनमल, किशोरीदेवी पत्नी कान्तीलाल जाति रामपुरीया महाजन सा. बीकानेर मालिक फर्म नीलकमल प्लास्टर इंडस्ट्रीज ग्राम समदडी के नाम दर्ज होना का कथन किया तहसीलदार समदडी ने मौका फर्द में आगे कथन किया है कि ग्राम समदडी के लट्‌ठा ट्रेस मे स्थित तरमीम व ऑनलॉइन नक्शा में की गई तरमीम में कोई त्रुटि नहीं है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:04:40 IST
Reason: SelfAttested